ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम

संदर्भ: *CAMPA ने 2024-2029 की अवधि के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण कार्यक्रम के लिए 56 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।*

- **GIB और लेसर फ्लोरिकन संरक्षण के लिए CAMPA वित्तपोषण:**
  - CAMPA ने 2024-2029 के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण कार्यक्रम के लिए 56 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।
  - भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में एक्स-सिटू नस्ल के बस्टर्ड को फिर से जंगली बनाना, विस्तृत जनसंख्या अध्ययन और कृत्रिम गर्भाधान तकनीक विकसित करना जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम का अवलोकन:**
  - GIB एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी है जो केवल भारत में पाया जाता है, जो घास के मैदानों के आवास स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
  - आवास की हानि, शिकार और बिजली लाइनों के साथ टकराव के कारण जनसंख्या में गिरावट।
  - पहल की शुरुआत 2012-2013 में राजस्थान और पर्यावरण मंत्रालय की दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति परियोजना के साथ हुई।
  - 2016 में आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन के लिए 33.85 करोड़ रुपये का वित्तपोषण आवंटित किया गया।
- **संरक्षण प्रजनन केंद्रों में उपलब्धियाँ:**
  - त्रिपक्षीय समझौते के तहत राजस्थान के रामदेवरा और सोरसन में प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए।
  - वर्तमान में 40 जीआईबी की संस्थापक आबादी है, जिसमें निरंतर अंडे संग्रह और प्रजनन की योजना है।
  - पक्षियों को जंगल में छोड़ने से पहले एक व्यवहार्य बंदी आबादी स्थापित करने का लक्ष्य।
- **GIB और लेसर फ्लोरिकन संरक्षण के लिए भविष्य की योजनाएँ:**
  - 2024-2029 का चरण रामदेवरा और सोरसन केंद्रों को उन्नत करने और जनसंख्या सर्वेक्षण आयोजित करने पर केंद्रित है।
  - कृत्रिम गर्भाधान तकनीक शुरू करना और अंततः जंगल में छोड़ने के लिए बंदी-नस्ल के जीआईबी को प्रशिक्षित करना।
- **चुनौतियाँ और पर्यावास प्रबंधन:**
  - शमन प्रयासों के बावजूद बिजली लाइनों से लगातार खतरे बने हुए हैं।
  - पर्यावास की बहाली और रिहाई स्थलों को सुरक्षित करना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - स्थायी संरक्षण प्रयासों के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग आवश्यक है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण**
  - प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 में स्थापित।
  - इसकी भूमिका में निगरानी, तकनीकी सहायता प्रदान करना और प्रतिपूरक वनीकरण परियोजनाओं का मूल्यांकन करना शामिल है।
  - प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) का प्रशासन करता है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF):**
  - CAF अधिनियम 2016 में पारित किया गया था और 2018 में नियमों को अधिसूचित किया गया था।
  - राष्ट्रीय और राज्य CAF क्रमशः भारत और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत स्थापित किए गए थे।
  - CAMPA द्वारा पहले से देखरेख किए गए प्रतिपूरक वनरोपण के लिए एकत्रित धन का उपयोग करने में कामयाब रहे।
  - CAF धन का 90% राज्यों को आवंटित किया जाता है, जबकि शेष 10% केंद्र द्वारा रखा जाता है।
- **CAF निधियों का उपयोग:**
  - जलग्रहण क्षेत्रों का उपचार।
  - प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायता की।
  - वन प्रबंधन।
  - वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन।
  - संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का पुनर्वास।
  - मानव-वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन।
  - प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम।
  - लकड़ी बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति और संबंधित गतिविधियाँ।
- **प्रतिपूरक वनरोपण प्रक्रिया:**
  - जब वन भूमि को खनन या उद्योग जैसे गैर-वन उपयोगों के लिए मोड़ा जाता है, तो इसकी आवश्यकता होती है।
  - इसमें गैर-वन भूमि के बराबर क्षेत्र में या, यदि उपलब्ध न हो, तो क्षरित वन भूमि के दोगुने क्षेत्र में वन लगाना शामिल है।

सुपरऐप

संदर्भ: *सुपरऐप के बारे में चर्चा कम हो गई है, लेकिन अदानी समूह जैसे समूह अभी भी अपने वन-स्टॉप, मल्टी-सर्विस प्लेटफ़ॉर्म, अडाणी वन के लिए उत्सुक हैं।*

परिभाषा: एक सुपर ऐप कई सेवाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत करता है। इसमें मुख्य विशेषताओं को स्वतंत्र रूप से विकसित मिनीऐप के साथ जोड़ा जाता है, जिसे उपयोगकर्ता आवश्यकतानुसार एक्सेस और सक्रिय कर सकते हैं।

उत्पत्ति: ब्लैकबेरी के संस्थापक माइक लाज़ारिडिस द्वारा इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। सुपर ऐप विभिन्न कार्यात्मकताओं को एक ही एप्लिकेशन में समेकित करता है।

कार्यक्षमता: सुपर ऐप के भीतर प्रत्येक मिनीऐप स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है लेकिन सुपर ऐप के एकीकृत इंटरफ़ेस के माध्यम से ही एक्सेस और प्रबंधित किया जाता है।

- **सुपर ऐप्स का महत्व**
  - **वैश्विक पहुंच:** वैश्विक स्तर पर 6.84 बिलियन से अधिक स्मार्टफ़ोन के साथ, WeChat जैसे सुपर ऐप का उपयोग आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा सोशल नेटवर्किंग से लेकर वित्तीय लेनदेन तक की दैनिक गतिविधियों के लिए किया जाता है।
  - **विकास अनुमान:** गार्टनर का अनुमान है कि 2027 तक, वैश्विक आबादी का 50% से अधिक हिस्सा सुपर ऐप के सक्रिय दैनिक उपयोगकर्ता होंगे, जो महत्वपूर्ण बाजार विस्तार का संकेत देता है।
  - **क्षेत्रीय अपनाना**: एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय, जहाँ वे शुरू से ही एकीकृत सेवाओं के साथ स्मार्टफोन-मूल आबादी की सेवा करते हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

➤ **सुपर ऐप कैसे काम करते हैं ?**

- **प्लेटफ़ॉर्म डायनेमिक्स:** सुपर ऐप एक फ्रंट-एंड प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करते हैं जहाँ आंतरिक और बाहरी दोनों डेवलपर्स मिनीऐप प्रकाशित करते हैं, जिससे ऐप की कार्यक्षमता और उपयोगकर्ता अपील का विस्तार होता है।
- **तकनीकी सहायता:** मिनीऐप के निर्माण और एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए PaaS, फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क और विकास सेवाओं सहित विभिन्न उपकरणों और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समर्थित है।
- **उपयोगकर्ता अनुभव**: उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरतों के अनुसार मिनीऐप का चयन और उपयोग करके अपने अनुभव को वैयक्तिकृत करते हैं, जिससे सुविधा और उपयोगिता बढ़ती है।

सुपर ऐप के उदाहरण: उदाहरणों में अलीपे, एयरएशिया, अमैप, कैरीम, ग्रैब, काकाओ, ताओबाओ, टाटा न्यू, पेटीएम, वीचैट और ज़ालो शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक भुगतान से लेकर परिवहन और मनोरंजन तक की विस्तृत श्रृंखला की सेवाएँ प्रदान करता है।

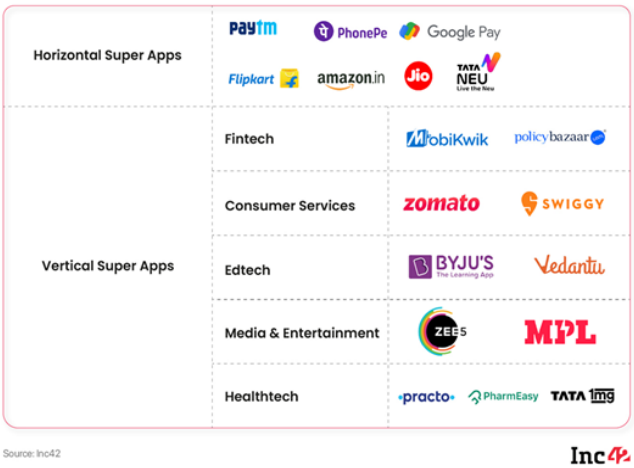

सुपर ऐप्स के अनुप्रयोग: सुपर ऐप्स संचार, मीडिया उपभोग, वित्तीय लेनदेन, परिवहन, खुदरा और जीवनशैली सेवाओं जैसे रोजमर्रा के कार्यों को एक ही इंटरफ़ेस में सुव्यवस्थित करते हैं।

➤ **सुपर ऐप्स के लाभ**

- **बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव:** अलग-अलग कार्यात्मकताओं को समेकित करके, सुपर ऐप्स सहज और एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि और वफ़ादारी बढ़ती है।
- **डेटा एकीकरण**: प्रदाताओं को ऐप के भीतर लंबे समय तक उपयोगकर्ता जुड़ाव से लाभ होता है, जिससे सेवा वितरण और उपयोगकर्ता अनुभव को अनुकूलित करने के लिए मिनीऐप्स में डेटा साझा करना आसान हो जाता है।
- **अनुकूलन:** उपयोगकर्ता अपनी प्राथमिकताओं और ज़रूरतों के आधार पर मिनीऐप्स को जोड़कर या हटाकर अपने ऐप अनुभव को अनुकूलित कर सकते हैं।
- **बाज़ार अपील**: सुपर ऐप्स अपनी व्यापक सेवा पेशकशों और स्केलेबिलिटी की क्षमता के कारण व्यापक उपयोगकर्ता आधार और निवेशक रुचि को आकर्षित करते हैं।

EV चार्जिंग स्टेशन दिशा-निर्देश

***संदर्भ:** 28 जून, 2024 को, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश और मानक जारी किए।*

➤ **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों का अवलोकन:**

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** 14 दिसंबर, 2018 को इसके आरंभिक जारी होने के बाद से यह दिशा-निर्देशों का छठा संशोधन है। अद्यतन दस्तावेज़ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देशों को समेकित करता है।
- **प्रयोज्यता:** यह दिशा-निर्देश उन व्यक्तियों या संस्थाओं (चार्ज पॉइंट ऑपरेटर CPO) पर लागू होते हैं जो निजी स्वामित्व वाले, अर्ध-प्रतिबंधित या सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं।
- **वैश्विक तुलना**: भारत में वर्तमान में प्रति सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट 15 इलेक्ट्रिक लाइट-ड्यूटी वाहन (LDV) हैं, जो न्यूजीलैंड (प्रति चार्जर 90 LDV) और नॉर्वे (प्रति चार्जर 34 LDV) जैसे देशों की तुलना में कम अनुपात है, जो भारत के EV अपनाने के विकसित परिदृश्य को उजागर करता है।

➤ **प्रमुख संशोधन और उनका प्रभाव:**

- **पहला संशोधन (अक्टूबर 2019):** चार्जर चयन में लचीलापन लाया गया, BEE को केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) के रूप में नियुक्त किया गया, तथा घर/कार्यालय चार्जिंग सेटअप में डिस्कॉम के लिए भूमिकाएँ निर्धारित की गईं। शहर और राजमार्गों पर प्लेसमेंट के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए।
- **बाद के संशोधन:** टैरिफ विनियमन शामिल किए गए, डिस्कॉम सुविधा के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई, तथा चार्जिंग स्टेशनों को समायोजित करने के लिए भूमि आवंटन और भवन उपनियम संशोधनों के प्रावधान पेश किए गए।
- **2024 संशोधन:** ग्राहक-अनुकूल ऑनलाइन क्लीयरेंस सिस्टम के साथ अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया, राज्य एजेंसियों को वार्षिक मांग मानचित्रण करने के लिए अनिवार्य किया गया, तथा सुरक्षा और अनुपालन मानकों को बढ़ाया गया।

➤ **तकनीकी विनिर्देश और आवश्यकताएँ:**

- **चार्जिंग स्टेशन मानक:** विभिन्न वाहन श्रेणियों में चार्जर की न्यूनतम क्षमता और प्रकार के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुपालन को अनिवार्य करता है।
- **परिचालन प्रोटोकॉल:** मांग प्रतिक्रिया और चार्जिंग स्टेशनों की दूरस्थ निगरानी के लिए खुले संचार प्रोटोकॉल को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
- **अवसंरचना घनत्व लक्ष्य**: शहरी और राजमार्ग चार्जिंग स्टेशन घनत्व के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है ताकि EV पैठ को बढ़ाया जा सके।

➤ **टैरिफ संरचना और वित्तीय विचार:**

- **टैरिफ विनियम:** सौर और गैर-सौर घंटों के लिए अलग-अलग दरों के साथ आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) से अधिक नहीं होने वाले टैरिफ निर्दिष्ट करता है। सटीक बिलिंग के लिए अलग-अलग मीटरिंग की आवश्यकता होती है।
- **समुदाय और कार्यस्थल चार्जिंग**: आवासीय और कार्यस्थल चार्जिंग अवसंरचना के लिए निर्देश, जिसमें साझा पार्किंग स्थान और लोड प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं।

➤ **नियामक निरीक्षण और भविष्य के निर्देश:**

- **सरकारी भूमिकाएँ**: यह BEE को CNA के रूप में नामित करता है और राज्य सरकारों को EV चार्जिंग अवसंरचना विकास की देखरेख के लिए नोडल एजेंसियों की नियुक्ति करने का आदेश देता है।
- **प्रगति समीक्षा**: विद्युत मंत्रालय के तहत एक संचालन समिति तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा करती है, जिसमें BEE, CEA, राज्य एजेंसियों और उद्योग प्रतिनिधियों के हितधारक शामिल होते हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सूचना का अधिकार

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत लगभग 100% अपीलों का निपटारा किया जा रहा है, तथा लंबित मामलों की संख्या में हर साल कमी आ रही है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में:

- सूचना का अधिकार (RTI) एक कानूनी अधिकार है जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह एक लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का एक मूलभूत पहलू है।
- सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है।
- यह नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड तक पहुँचने की अनुमति देता है।
- यह अधिनियम जून 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- इसका उद्देश्य खुलेपन, जवाबदेही और सहभागितापूर्ण शासन की संस्कृति को विकसित करना है।
- यह अधिनियम और इसके नियम सूचना प्राप्त करने की प्रक्रियाओं, समय-सीमा, प्रकटीकरण के तरीके, आवेदन शुल्क और गैर-प्रकटीकरण के लिए छूट को निर्दिष्ट करते हैं।
- यह सरकारी प्रणालियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने, मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करने और संघ या राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के कदाचार को प्रकट करने में मदद करता है।
- आरटीआई अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) में निहित है।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च

हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के महानिदेशक ने उल्लेख किया कि भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 82% है, लेकिन देश अपनी उच्च विकास दर और स्थानीय-मुद्रा ऋण के बड़े हिस्से के कारण ऋण-स्थिरता के मुद्दे का सामना नहीं करता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में:

- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्वतंत्र, गैर-लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्था है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी।
- संस्था व्यापक आर्थिक मुद्दों पर शोध करती है, जिसमें मैक्रोइकॉनॉमिक्स, औद्योगिक नीति, सामाजिक विकास, व्यापार और बुनियादी ढाँचा शामिल है।
- यह आर्थिक पूर्वानुमान, सर्वेक्षण-आधारित शोध, डेटा संग्रह और विश्लेषण में संलग्न है तथा नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
- यह "भारत मानव विकास सर्वेक्षण" और "अर्थव्यवस्था की तिमाही समीक्षा" जैसी विभिन्न रिपोर्टों और प्रकाशनों के लिए जाना जाता है।
- इसका काम चार विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है: विकास, मैक्रो, व्यापार और आर्थिक नीति; निवेश का माहौल, उद्योग, बुनियादी ढाँचा, श्रम और शहरी; कृषि एवं ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण; तथा गरीबी, समानता, मानव विकास एवं उपभोक्ता।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है।

नीति आयोग

नीति आयोग आज (4 जुलाई 2024) से 30 सितंबर तक तीन महीने का संपूर्णता अभियान शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में छह प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है।

नीति आयोग के बारे में:

- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) एक नीति थिंक टैंक और सरकारी संगठन है जो भारत सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देता है।
- इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी।
- यह प्रभावी शासन के 7 स्तंभों- जन-हितैषी, सक्रियता, भागीदारी, सशक्तीकरण, समावेश, समानता और पारदर्शिता पर आधारित है।
- नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों वाली एक शासी परिषद शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने वाली एक क्षेत्रीय परिषद, प्रमुख शोध संस्थानों से तदर्थ सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार पदेन सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं, जिनमें डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ शामिल हैं।
- नीति आयोग ने विभिन्न पहल और अभियान शुरू किए हैं, जैसे: अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया (अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन)आदि।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

हाल ही में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची के रोगों का पता लगाने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में:

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) 1976 में स्थापित भारत सरकार की एक एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करता है।
- यह ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करने और विभिन्न सरकारी विभागों को डिजिटल बुनियादी ढाँचा सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) संगठन के रूप में कार्य करता है।
- एनआईसी के उत्कृष्टता केंद्र सरकारी सेवाओं और संचालन को नया रूप देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी तकनीकों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- यह सरकारी एजेंसियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन, प्लेटफॉर्म और समाधान विकसित करते हैं।
- यह राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का प्रबंधन करता है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करता है और सरकारी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करता है। संगठन केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क संचालित करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

सुर्खियों में स्थल

हंगरी

हाल ही में, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मॉस्को के साथ शांति वार्ता में तेज़ी लाने के लिए युद्ध विराम पर विचार करने का आग्रह किया है।

हंगरी (राजधानी: बुडापेस्ट)

स्थान: हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है।

राजनीतिक सीमाएँ: हंगरी रोमानिया (पूर्व), ऑस्ट्रिया (पश्चिम), स्लोवाकिया (उत्तर), यूक्रेन (उत्तर-पूर्व), सर्बिया (दक्षिण) और क्रोएशिया और स्लोवेनिया (दक्षिण-पश्चिम) के साथ अपनी सीमा साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- हंगरी का सबसे ऊँचा स्थान केकेस है, जो देश के उत्तर-पूर्वी भाग में बुक्क पर्वत में स्थित है।
- हंगरी की प्रमुख नदियों में डेन्यूब, टिस्ज़ा, ड्रावा और स्ज़ामोस शामिल हैं।
- हंगरी के खनिज संसाधनों में बॉक्साइट, कोयला, प्राकृतिक गैस और बैराइट, जिप्सम तथा काओलिन जैसे विभिन्न औद्योगिक खनिज शामिल हैं।
- बालाटन झील हंगरी और मध्य यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो ट्रांसडानुबियन क्षेत्र में स्थित है।
- दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल झील, हेविज़ झील हंगरी में स्थित है, जो बालाटन झील के पश्चिमी छोर के पास है।

राजनीतिक व्यवस्था: हंगरी एक संसदीय गणराज्य है जिसमें एक सदनीय विधायिका है जिसे नेशनल असेंबली या ओर्सज़ैग्युल्स कहा जाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

POINTS TO PONDER

- हाल ही में, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉ. बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) का प्रमुख नियुक्त किया। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? – **डॉ. संजय बिहारी**
- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई? – **तीन**
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने अपनी वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की? – **यू.एन.ओ.डी.सी. (यू.एन. ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम)**
- पर्यावरण संगठनों ने हाल ही में वन विभाग से किस वन्यजीव अभयारण्य से सेन्ना स्पेक्टेबिलिस के निष्कर्षण से जुड़ी परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया? – **वायनाड वन्यजीव अभयारण्य**
- हाल ही में, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस वन्यजीव अभयारण्य में जंगल में रहने वाले मेंढक ज़ेनोफ्रीस अपाटानी को रिकॉर्ड किया? – **टैले वन्यजीव अभयारण्य**

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com